

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

भूखण्ड संख्या-01, सैक्टर-नॉलेज पार्क-4,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०।

पत्रांक:-ग्रे०नो०/आई०टी०/2023/1142

दिनांक:-06/10/2023

कार्यालय-आदेश

प्राधिकरण की 131वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 12.08.2023 के मद संख्या:-131/16 में मा० संचालक मण्डल द्वारा ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में आई०टी०/आई०टी०ई०एस० हेतु आवंटित भूखण्डों तथा कॉरपोरेट ऑफिस/कार्यालय उपयोग के आवंटित भूखण्डों पर निर्मित भवन को किराये पर दिये जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है:-

For IT units & corporate office units, other than approved IT Parks/STPI units, number of tenants would be one for every 500 sq.mtrs. of built up area (FAR) and charges for tenancy would be @ Rs. 50/- per sq.mtr. of built up area (total FAR proposed to be rented) for renting per year for the first tenant and in the event of any tenant changing during the year, additional charges @ Rs. 10/- per sq.mtr. of built up area (total FAR proposed to be rented) for balance period of the year, would be levied.

आई.टी./आई.टी.ई.एस. एवं कारपोरेट कार्यालयों के किराए की अनुमति की प्रक्रिया में सिर्फ निम्नलिखित अभिलेख लिए जायेंगे:-

- किराया अनुमति प्राप्त करने हेतु आवंटी से निम्नानुसार प्रपत्र प्राप्त किये जायेंगे:-
 - आवेदन पत्र आवंटी कम्पनी के लेटर हेड पर।
 - प्रोसेसिंग फीस।
 - कुल एरिया जो रेंट पर देने का प्रस्ताव है।
 - शपथ पत्र कि किरायेदार द्वारा आवंटित भू-उपयोग के अनुरूप ही गतिविधि चलाई जायेगी।
- किरायेदार की ओर से दाखिल किये जाने अन्य समस्त प्रपत्रों को समाप्त करते हुये मात्र इकाई का नाम तथा उससे संबंधित पैनकार्ड प्राप्त किया जायेगा।

किराये पर 500 वर्गमीटर से कम एरिया भी दिया जा सकता है, कुल किरायेदारों की संख्या एफएआर/500 से अधिक नहीं होगी। इस संख्या के अन्दर कतिपय किरायेदार कम एफ.ए.आर को भी किराये पर ले सकते हैं।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- स्टाफ आफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी/एम/ए), ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी (सिस्टम), ग्रेटर नौएडा को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- मध्य प्रबन्धक (विज्ञ)

(अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी)